प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थीगण रघुवीर सिंह आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नाटास पटवार हल्का नाटास की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 484/74 मे आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 485/74 में से तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 14.09.2021 प्राप्त फर्द मौका के सलंग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से बिन्दु ए से बी प्रस्तावि किये गये रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते में समायोजित होने वाल भूमि के बदले डी0 एल0 सी0 दर की दुगनी राशि को तहसीलदार उदययुपरवाटी के पास जमा करवाऐ तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमा डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशी जिस खातेदारी की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है, को नियमानुसार भुगतान करे तथा उक्त 3 मी चौड़ा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित क तसहीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त फर्द मौका निरिक्षण मय नजरी नक्शा इस आदेश का हिस्सा रहेगी।

(राम सिंह राजाव
उपखण्ड अधिका
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 30.0[illegible] को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2022.06.28 10:30:46 IST
Reason: SelfAttested

(राम सिंह राजा
उपखण्ड अधिक
उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner